JV

राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या–प0नि0 30–10/2015 1808

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
पश्चिम ~~पूर्वी~~ **चम्पारण।**

पटना, दिनांक– 12.04.24

विषय :– अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु प्रेषित प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:– आपका पत्रांक 117 दिनांक 16.03.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के फलस्वरूप रिक्त पद पर निर्वाचन कराने हेतु आयोग को प्रतिवेदन/प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं, जिनके समीक्षोपरान्त पाया गया कि **प्रखंड लौरिया ग्राम पंचायत देउरवा के उप मुखिया** एवं **प्रखंड लौरिया ग्राम पंचायत सिसवनिया के उप मुखिया** के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 18 (4) (2) के अनुरूप नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि प्रासंगिक पत्रों द्वारा संदर्भित विषय में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत् वैधानिक परीक्षण के उपरान्त प्रस्ताव भेजने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
10/4/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।